न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

श्री मूलसिंह पुत्र श्री बलवन्तसिंह, जाति- राजपूत, निवासी-वेरापुरा, तह. व जिला-सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भू.अ.), सिरोही

राजस्व अपील संख्याः 68/2018

''अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956''

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री हंसराज पुरोहित, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 31 अक्टूम्बर, 2018**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा ग्राम धान्ता, पटवार हल्का धान्ता के नामान्तरकरण संख्या 291 को अस्वीकृत (खारिज) करने के पारित आदेश दिनांक 31.1.2018 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु अपीलार्थी द्वारा धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपील के साथ अलग से प्रस्तुत किया गया है।

(2) अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री पुरोहित ने अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अपीलार्थी ग्राम वेरापुरा का स्थाई निवासी है तथा भूतपूर्व सैनिक है। अपीलार्थी वर्ष 1991 में सेवानिवृत हुआ है। अपीलार्थी भूतपूर्व सैनिक होने एवं भूमि आवंटन की पात्रता रखने से राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के तहत भूमि आवंटन सलाहकार समिति की कैम्प धान्ता में दिनांक 27.5.1992 को आयोजित बैठक में भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अपीलार्थी को ग्राम धान्ता के खसरा संख्या 627 में रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा (जिसके वर्तमान खसरा संख्या 935 रकबा 1.5400 हेक्टेयर है) किस्म बंजर भूमि आवंटन करने की अनुशंषा की गई थी। जिस पर उपखण्ड अधिकारी, सिरोही ने दिनांक 27.5.1992 को कैम्प धान्ता में ग्राम धान्ता के खसरा संख्या 627 में रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा किस्म बंजर भूमि का अपीलार्थी को आवंटन किया था। दिनांक 27.5.1992 को कैम्प धान्ता में आयोजित बैठक में भूमि आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर उपखण्ड अधिकारी, सिरोही ने दिनांक 27.5.1992 को अन्य व्यक्तियों को भी अन्य भूमि का आवंटन किया गया

...पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

था तथा उपखण्ड अधिकारी, सिरोही के पत्र क्रमांक/राजस्व/92/29 दिनांक 06.6.1992 के द्वारा तहसीलदार, सिरोही व हल्का पटवारी, धान्ता को आदेश दिये गये थे कि आवंटित भूमि का आवंटियों को कब्जा सुपर्द करे। जिसकी पालना में हल्का पटवारी, धान्ता द्वारा जुलाई, 1992 में अपीलार्थी व अन्य आवंटियों को आवंटित भूमि का कब्जा सुपर्द किया था। अपीलार्थी उक्त आवंटित भूमि पर गत 25 वर्षो से काबिज काश्त है तथा खरीफ में वर्षा होने पर काश्त व बुवाई करता है। यह कि अपीलार्थी ने उक्त आवंटित भूमि के जुलाई, 1992 में कब्जा सुपर्दगी के बाद राजस्व अधिकार अभिलेख (जमाबंदी) में स्वयं के नाम से उक्त आवंटन का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद व नामान्तरकरण करवाने हेतु तहसीलदार, सिरोही को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् बार बार स्मरण पत्र भी दिये किन्तु नामान्तरकरण दायर की कार्यवाही अमल में नही लाई तथा अपीलार्थी को नामान्तरकरण दायर करने का आश्वासन देते रहे। अपीलार्थी ने दिनांक 22.5.2018 को आवंटित भूमि की जमाबंदी पटवारी हल्का धान्ता से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु मांगी तो पटवारी हल्का, धान्ता ने अपीलार्थी को जानकारी दी कि अपीलार्थी के नामान्तरकरण की कार्यवाही नायब तहसीलदार, सिरोही ने दिनांक 31.1.2018 को खारिज कर दी हैं तथा जमाबन्दी में अपीलार्थी का नाम दर्ज नही है। यह कि नायब तहसीलदार, सिरोही ने उक्त आवंटन आदेश की पालना में अपीलार्थी के पक्ष में दायर नामान्तरकरण को खारिज करने का जो आदेश दिनांक 31.1.2018 को पारित किया है वह विधि विरुद्ध है एवं तथ्यों से परे है। नायब तहसीलदार, सिरोही ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि अपीलार्थी एक भूतपूर्व सैनिक है जिसे उक्त भूमि का आवंटन नियमानुसार व पात्रता रखने के कारण भूमि आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर उपखण्ड अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 27.5.1992 को किया गया था तथा आवंटन के बाद उपखण्ड अधिकारी, सिरोही के पत्र क्रमांक/राजस्व/92/29 दिनांक 06.6.1992 की पालना में हल्का पटवारी, धान्ता ने अन्य आवंटियों के साथ साथ अपीलार्थी को भी आवंटित भूमि का कब्जा सुपर्द किया था। अपीलार्थी का उक्त आवंटित भूमि पर गत 25 वर्षो से वैध रुप से कब्जा है व बरसाती मौसम में काश्त करता है। यदि आवंटित भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा-काश्त नही होता तो उक्त आवंटन को निरस्त करने की कार्यवाही होती है, लेकिन ऐसी कार्यवाही अपीलार्थी के विरुद्ध नही हुई है, इससे यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी विवादित भूमि के मौके पर गत 25 वर्षो से काबिज काश्त है। नायब तहसीलदार, सिरोही ने इस तथ्य पर भी गौर नही किया कि आवंटन के 10 वर्षो बाद गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है, फिर भी नायब तहसीलदार, सिरोही ने अपीलार्थी के पक्ष में उक्त आवंटित भूमि के दायर नामान्तरकरण को खारिज करने के आदेश पारित किया है जो विधि की मंशा के विरुद्ध है। नायब तहसीलदार, सिरोही ने अपीलार्थी के विरुद्ध आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान विधिक दृष्टान्त RRD 1997 Page 576-580, RRD 1975 Page 287, RRD 1984 Page 45-50 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि नामान्तरकरण एक फिसकल कार्यवाही है, लेकिन इसका मतलब यह नही कि नामान्तरकरण किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में स्वीकृत किया जाये

....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

जिसका उस भूमि पर अधिकार नही हो या Title नही हो। कब्जे का तथ्य तब ही महत्वपूर्ण होता है जब कोई विवाद हो या नामान्तरकरण स्वीकृत करने वाले अधिकारी यह तय नही कर पा रहा हो कि उस भूमि पर किस व्यक्ति का अधिकार है। चूंकि इस प्रकरण में अपीलार्थी उक्त आवंटित भूमि पर काबिज है एवं अपीलार्थी का Title Clear है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के पक्ष में दायर नामान्तरकरण को कब्जा नही होने के आधार पर खारिज नही किया जा सकता था। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि नायब तहसीलदार, सिरोही ने अपीलार्थी के पक्ष में दायर नामान्तरकरण को खारिज करने का आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी नही किया एवं न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया है। नायब तहसीलदार, सिरोही ने एकपक्षीय आदेश पारित किया है। जिसके संबंध में अपीलार्थी को दिनांक 22.5.2018 को हल्का पटवारी, धान्ता से जानकारी हुई, तब अपीलार्थी ने नकल हेतु आवेदन कर नकल दिनांक 24.5.2018 को प्राप्त हुई। तत्पश्चात् अपीलार्थी दिनांक 20.6.2018 से मलेरिया व टाईफाईड से पीडित होने के कारण वो दिनांक 14.7.2018 तक जैर ईजाज रहा है तथा इस दरम्यान अपीलार्थी अंकित नर्सिग होम, शांतिनगर, सिरोही में इनडोर पेसेन्ट की हैसियत से भी भर्ती रहा है। इस कारण अपीलार्थी जानकारी तिथि से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत नही कर सका। जिसमें अपीलार्थी की कोई बदनियति या लापरवाही नही रही है। अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भावनापूर्ण है। अपीलार्थी ने धारा 5 भारतीया मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र किया है। साथ ही, अपीलार्थी के बिमारी के ईलाज से संबंधित दस्तावेज भी पेश किये है, इसलिये अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाकर अपीलार्थी को अपील स्वीकार करते हुए तहसीलदार, सिरोही को अपीलार्थी के हक में आवंटित उक्त भूमि का नामान्तरकरण दायर करने हेतु निर्देशित किया जावे। जबकि पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि अपीलार्थी को उक्त भूमि का आवंटन वर्ष 1992 में हुआ था, लेकिन अपीलार्थी का आवंटन के बाद से अब तक आवंटित भूमि कब्जा व काश्त नही रहा है। मौके पर काश्त के कोई निशानात नही पाये गये है एवं आवंटित भूमि पथरिली भूमि है जिस पर काश्त संभव नही है। अत: अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि अपीलार्थी को ग्राम धान्ता, पटवार हल्का धान्ता के खसरा संख्या 627 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा किस्म बंजर भूमि (जिसके वर्तमान खसरा संख्या 935 रकबा 1.54 हेक्टेयर किस्म गै.मु. खाल खद्दर है) का भूमि आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंषा पर उपखण्ड अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 27.5.1992 को आवंटन किया गया था। उक्त आवंटन का तहसीलदार, सिरोही के आदेश क्रमांक/भू.अ./2017/4048 दिनांक 12.7.2017 की पालना में हल्का पटवारी, धान्ता द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 291 दायर किया गया। जिसे नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा दिनांक 31.1.2018 को अस्वीकृत (खारिज) किया गया है। नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 31.1.2018 के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 17.7.2018 को अपील प्रस्तुत की गई है जो

....पेज चार पर

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। जहां तक, यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न है? अपीलार्थी ने अपील पेश करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ अलग से प्रस्तुत किया है। जिसमें यह अंकित किया है कि नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 291 दिनांक 31.1.2018 को खारिज किये जाने की जानकारी अपीलार्थी को हल्का पटवारी, धान्ता के माध्यम से दिनांक 22.5.2018 को हुई, जब अपीलार्थी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु जमाबन्दी की नकल लेने हल्का पटवारी, धान्ता के पास गया। तब अपीलार्थी ने नामान्तरकण की नकल हेतु आवेदन किया एवं अपीलार्थी को दिनांक 24.5.2018 को नामान्तरकरण की नकल प्राप्त हुई। उसके बाद अपीलार्थी दिनांक 20.6.2018 को मलेरिया व निमोनिया बुखार से पीडीत हो गया और दिनांक 14.7.2018 तक अपीलार्थी जैर इलाज रहा। अपीलार्थी ने धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम में अंकित तथ्यों के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र व ईलाज से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने में कोई बदनियति या लापरवाही नही रही है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी द्वारा विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु प्रस्तुत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर विलम्ब की अवधि को क्षमा करते हुए इस प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जा रहा है।

न्यायालय पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 291 को इस आधार पर अस्वीकृत (खारिज) किया गया है कि कब्जा प्राप्ति सम्बन्धी कागजात पेश नही किये है एवं मौका देखने पर मौके पर काश्त करने के निशानात नही पाए गए तथा पथरीली भूमि है। जबकि अपीलार्थी पक्ष का यह कथन है कि अपीलार्थी को उक्त भूमि का दिनांक 27.5.1992 को आवंटन होने पर उपखण्ड अधिकारी, सिरोही के पत्र क्रमांक/राजस्व/92/29 दिनांक 06.6.1992 की पालना में हल्का पटवारी, धान्ता द्वारा अपीलार्थी को बमाह जुलाई, 1992 में भूमि का कब्जा सुपर्द किया था, तब से अपीलार्थी उक्त आवंटित भूमि पर काबिज-काश्त है। अपीलार्थी ने उक्त कथन के समर्थन में उक्त आवंटित भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा-काश्त होने के संबंध में खसरा गिरदावरी की नकल प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि अपीलार्थी का आवंटित भूमि का कब्जा-काश्त रहा हो। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की यह अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अत: अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाता है। साथ ही, तहसीलदार, सिरोही को यह निर्देश दिये जाते है कि अपीलार्थी को आवंटित भूमि पर अपीलार्थी द्वारा काश्त की गई है अथवा नही? इसकी जांच राजस्व रेकर्ड खसरा गिरदावरी से करे तथा यदि अपीलार्थी को आवंटित भूमि पर अपीलार्थी द्वारा काश्त नही की गई है तो आवंटन निरस्त कराने हेतु राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे।

(आशाराम डूडी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही